

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

डॉ. संजय कुमार सिन्हा और अन्य

नवंबर 15, 1989

[न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी]

*व्यावसायिक महाविद्यालय-इनमें प्रवेश: बिहार के मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश-पात्रता की कट ऑफ तिथि-उच्चतम न्यायालय के समय सारिणी निर्धारित करने के आदेशों के अनुपालना के लिए आवश्यकता।*

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में, उत्तरदाता, चिकित्सा स्नातकों के एक समूह ने वर्ष 1989 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवरण पत्रिका को चुनौती दी, जिसमें डॉ. दिनेश कुमार और अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य, [1987] 4 एससीसी 459 मामले में इस न्यायालय के दिये निर्देशों के विपरीत 31 मई, 1989 को पात्रता की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। यह देखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने विवरण पत्रिका को इस हद तक रद्द कर दिया कि पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31.5.1989 के रूप में तय की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की गई थी और परिणामों की सूचना देर से भेजी गई, इसलिए इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना को ठीक

से लागू नहीं किया जा रहा था। जाँच निकाय ने अपने हलफनामे में खेद व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई चूक नहीं होगी।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय द्वारा,

अभिनिर्धारित: इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्देशों का जांच निकाय द्वारा चालू वर्ष के लिए पालन नहीं किया गया है। इसी तरह, राज्य ने अपनी विवरण पत्रिका तैयार करते समय निर्देशों का पालन नहीं किया। अगर अध्ययन के पाठ्यक्रम 2 मई से शुरू होने थे, तो अंतिम योग्यता तिथि 31 मई, 1989 निर्धारित नहीं की जा सकती थी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ मेडिकल कॉलेज चलाने वाले अन्य प्राधिकरणों सहित हर कोई इस अदालत के आदेश से बाध्य है और उन्हें इस संबंध में उसमें निर्धारित समय-सारणी का सख्ती से पालन करना चाहिए। यदि भविष्य में इस न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन संज्ञान में लाया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सभी संबंधितों को समय-सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए और भविष्य में इस संबंध में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। [ 171 सी; ई-एफ]

इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कट-ऑफ तिथि से आगे की तारीख तय करने में राज्य की गलती ने उम्मीदवारों के एक समूह को गुमराह किया है। यह सभी के हित में है कि इस गलती को माफ किया जाना चाहिए और 31 मई, 1989 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रस्थान केवल वर्तमान वर्ष तक ही सीमित है। [172 ए-बी]

*डॉ. दिनेश कुमार और अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य, [1987] 4 एससीसी 459*

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1989 की सिविल अपील सं. 3658

पटना उच्च न्यायालय के सी. डब्ल्यू. जे. संख्या 34/1989 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.3.1989 से।

अपीलार्थियों के लिए प्रमोद स्वरूप।

उत्तरदाताओं के लिए एम. सी. भंडारे (एनपी), ए. के. गोयल और सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा।

एस. पी. कालरा और शैलेंद्र भारद्वाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए।

जी. एल. सांघी और ए. शरण हस्तक्षेपकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने दिया।

विशेष अनुमति प्रदान की गई ।

इस अपील में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में पटना उच्चन्यायालय की रांची पीठ द्वारा दिए गए 30 मार्च, 1989 के आदेश को चुनौती दी गई है। बिहार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के परीक्षा नियंत्रक-सह-अतिरिक्त निदेशक द्वारा वर्ष 1989 के लिए प्रकाशित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में प्रवेश के लिए विवरण पत्रिका को चुनौती देने वाले चिकित्सा स्नातकों के एक समूह द्वारा इस आरोप पर उच्च न्यायालय का रुख किया गया था, कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के उद्देश्य से एक उम्मीदवार को 31 मई, 1989 को या उससे पहले 12 महीने की अपनी गृह-नौकरी पूरी करनी होगी, यह निर्धारण डॉ. दिनेश कुमार और अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य, [1987] 4 एससीसी 459 के मामले में इस न्यायालय के दिए गए निर्देशों के विपरीत था। उच्च न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए गए आदेश में निर्धारित समय-सीमा का विवरण-पत्र में

पालन नहीं किया गया था और इसलिए, राज्य और उसके अधिकारियों को निर्देश देते हुए परमादेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी गई कि किसी भी उम्मीदवार को स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षा देने की अनुमति न दी जाए यदि उसके पास 1 मई, 1989 को 12 महीने की गृह-नौकरी पूरी करने की आवश्यक योग्यता नहीं थी। इसने विवरण पत्रिका को इस हद तक रद्द कर दिया कि पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31.5. 1989 निर्धारित की गई थी।

बिहार राज्य और उसके अधिकारी, जो उच्च न्यायालय में उत्तरदाता थे, अपील में है और उनका मुख्य तर्क है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की गई थी और परिणामों की सूचना देर से भेजी गई थी। हमारे समक्ष आगे यह तर्क दिया गया कि कई अन्य राज्य भी इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए गए आदेश में इंगित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इस तरह के विशिष्ट आरोपों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से परीक्षण निकाय के खिलाफ, जिसे इस न्यायालय द्वारा काम सौंपा गया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नोटिस जारी किया गया था और संस्थान ने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की थी और अपना हलफनामा दायर किया है। रिपोर्ट किए गए आदेश में हमारे द्वारा यह कहा गया था:

"अब जिसे निपटाया जाना बाकि है, वह है चयन परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना। जैसा कि पहले ही तय हो चुका है कि चयन परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के आयोजन की घोषणा परीक्षा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को की जाएगी और उम्मीदवारों को आवेदन

करने के लिए पूरे चार सप्ताह का समय उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अक्टूबर से छह सप्ताह के भीतर आवेदन प्राप्त होने के बाद, उनकी जांच की जाएगी और विधिवत संसाधित किया जाएगा और प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जनवरी के दूसरे रविवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम परीक्षा आयोजित होने के चार सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। प्रवेश परिणामों की घोषणा के दो सप्ताह बाद शुरू होगा। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से छह सप्ताह होगी लेकिन प्रत्येक संस्थान के प्रमुख विशेष मामलों में दिखाए गए कारणों और अभिलिखित आधारों के आधार पर सात दिनों तक की देरी को माफ करने के हकदार होंगे। देश भर में ऐसा अध्ययन वाले प्रत्येक संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम 2 मई से शुरू होंगे। परीक्षा की घोषणा, परिणाम का प्रकाशन और प्रवेश के स्थान के आवंटन की अधिसूचना (वरीयता और निवास के निकट स्थानों में महिला उम्मीदवारों की प्राथमिकता के संबंध में हमारे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए) हर राज्य में बड़े प्रसार वाले अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय पत्र के लगातार दो अंकों में और राज्य की भाषा में कम से कम दो स्थानीय पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।”

जाहिर है चालू वर्ष के लिए जांच निकाय द्वारा प्रासंगिक निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसी तरह बिहार राज्य ने अपना विवरण-पत्र तैयार करते समय इस न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया। यदि अध्ययन के पाठ्यक्रम 2 मई से शुरू होने हैं, तो अंतिम योग्यता तिथि 31 मई, 1989 निर्धारित नहीं की जा सकती थी। हमारे सामने यह दोहराया गया है कि कई राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विलंब और निर्देशों का पालन न करने के आरोपों की शुद्धता की जांच करने के लिए नोटिस जारी करने के बजाय, हमने यह संकेत देना उचित समझा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ मेडिकल कॉलेज चलाने वाले अन्य प्राधिकरणों सहित सभी लोग हमारे आदेश से बंधे हैं और उन्हें आदेश के पैराग्राफ 6 में बताई गई समय-सारणी का सख्ती से पालन करना होगा। हमने इस अदालत के आदेश के उल्लंघन के लिए चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, इस उम्मीद में कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन हम सभी को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भविष्य में किसी भी समय यह हमारे संज्ञान में लाया जाता है कि उल्लंघन हुआ है, तो इस तरह के चूक पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हम आशा और विश्वास करते हैं कि सभी संबंधित लोग समय-सीमा का सख्ती से पालन करेंगे और भविष्य में इस संबंध में कोई चूक नहीं होगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वकील ने जो हुआ उसके लिए खेद व्यक्त किया है और हमें आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस संबंध में कोई चूक नहीं होगी।

उत्तरदाताओं के वकील ने हमारे ध्यान में यह स्थिति लाई है कि पिछले वर्ष बिहार राज्य ने यह रुख अपनाया था कि इस न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए विस्तार संभव नहीं था और इस वर्ष राज्य का रुख इसके विपरीत था। बिहार राज्य के वकील ने इस स्थिति पर खेद व्यक्त किया है। हम पाते हैं कि जो लोग पिछले वर्ष में कट-ऑफ तिथि से आगे अर्हता प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने नए समूह के साथ इस वर्ष की विवरण पत्रिका के अनुसार परीक्षा दी है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि से आगे की तारीख तय करने में राज्य की गलती ने स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के एक समूह को गुमराह किया है। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि यह सभी के हित में है कि बिहार राज्य द्वारा की गई गलती को माफ किया जाना चाहिए

और 31 मई, 1989 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इस न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उसने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह सबसे उपयुक्त था, लेकिन ऊपर उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में हमने केवल वर्तमान वर्ष तक ही सीमित रखा है।

इन निर्देशों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

NPV

याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।